



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012023-242124
CG-DL-E-20012023-242124

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]
No. 325]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2023/पौष 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2023/PAUSHA 30, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2023

का.आ. 339(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला : पश्चिम बर्धमान

क्रम संख्या	थाना	मौजा का नाम अधिकारिता सूची संख्या सहित	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		प्रभावित भाग
				एकड़ में	हैक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	काँकसा	आमलाजोरा-64 (आर. एस.)	654	0.040	0.0162	संपूर्ण
			655	0.350	0.1416	उत्तर भाग
			656	0.070	0.0283	उत्तर भाग
			657	0.205	0.0830	उत्तर भाग
			658	0.070	0.0283	संपूर्ण
			1149	0.030	0.0121	संपूर्ण
			1150	0.060	0.0243	उत्तर भाग
			2111	0.015	0.0061	उत्तर भाग
			2112	0.010	0.0040	उत्तर भाग
			2113	0.005	0.0020	उत्तर-पश्चिम कोण
			2126	0.035	0.0142	उत्तर भाग
			2127	0.100	0.0405	संपूर्ण
			2128	0.230	0.0931	संपूर्ण
			2129	0.195	0.0789	उत्तर भाग
			2134	0.020	0.0081	उत्तर-पश्चिम कोण
			2135	0.225	0.0911	उत्तर भाग
			2252	0.035	0.0142	उत्तर भाग
			2126 / 4651	0.040	0.0162	संपूर्ण
			1771 / 4830	0.050	0.0202	उत्तर भाग

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2376]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2023

S.O. 339(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Paschim Bardhaman, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent

Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Paschim Bardhaman in the State of West Bengal.

DISTRICT: PASCHIM BARDHAMAN

Sl. No.	PS	Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Affected Portion
				Acre	Hectare	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kanksa	Amlajora-64 (R. S.)	654	0.040	0.0162	Full
			655	0.350	0.1416	Northern
			656	0.070	0.0283	Northern
			657	0.205	0.0830	Northern
			658	0.070	0.0283	Full
			1149	0.030	0.0121	Full
			1150	0.060	0.0243	Northern
			2111	0.015	0.0061	Northern
			2112	0.010	0.0040	Northern
			2113	0.005	0.0020	North West Corner
			2126	0.035	0.0142	Northern
			2127	0.100	0.0405	Full
			2128	0.230	0.0931	Full
			2129	0.195	0.0789	Northern
			2134	0.020	0.0081	North West Corner
			2135	0.225	0.0911	Northern
			2252	0.035	0.0142	Northern
			2126/4651	0.040	0.0162	Full
			1771/4830	0.050	0.0202	Northern

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2376]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)